न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–08 / 2022

रघुवीर कुमार, जमुई बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद रघुवीर कुमार, पिता–श्री रामाशीष यादव, ग्राम–सनखपरी, पोस्ट+थाना– लक्ष्मीपुर, जिला– जमुई द्वारा वन समपहरण अपीलवाद सं0–01 / 2021–22 में जिला दंडाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक–03.06.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि दिनांक–10.09.2020 को श्री सियाराम दूबे, वनपाल गंगटा को विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अधार पर अपने अधिनस्थ वनकर्मियों के साथ गश्ती के क्रम में केन्दुआतरी मोड़ के समीप एक वाहन को जंगल से निकलते देखा गया। गश्ती दल को देख वाहन चालक वाहन छोड़ कर भाग गया। तत्पश्चात् गश्ती दल द्वारा उक्त वाहन पिकअप भान निबंधन सं0–BR10G-8825 एवं उस पर लदे महुआ बोटा 11 (ग्यारह) पीस को अवैध परिवहन करने के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 33, 41 एवं 42 तथा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–27 एवं 29 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 52(1) के तहत जप्त किया गया। जप्ती सूची घटना स्थल पर तैयार किया गय तथा जप्त वाहन एवं उस पर लदे महुआ बोटा 11 (ग्यारह) पीस को वन क्षेत्र कार्यालय, खड़गपुर में लाकर श्री संजय पासवान, वनरक्षी के जिम्मेनामा पर सुरक्षित रखा गया। जुर्म प्रतिवेदन, जप्ती सूची की मूल प्रति संलग्न करते हुए मामले का प्रारंभिक प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर के न्यायालय में वन परिसर पदाधिकारी, गंगटा के पत्रांक–68, दिनांक 11.09.2020 द्वारा समर्पित किया गया।

प्रारंभिक प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नकों सहित वन परिसर पदाधिकारी, गंगटा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को प्रेषित करते हुए उनसे राज्यसातवाद की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। उक्त आधार पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर के अधिहरण न्यायालय में जप्त पिकअप भान निबंधन संख्या– BR10G-8825 एवं उस पर लदे महुआ बोटा 11 (ग्यारह) पीस पर भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 52(3) के तहत राज्यसात वाद संख्या–08 / 2020 की कार्यवाही प्रारंभी की गयी।

उभय पक्षों को सुनने, उपलब्ध कराये गये तथ्यों, अभिलेखों, साक्ष्यों एंव गवाहों की गवाही का अनुशीलन करने के पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा दिनांक–03.03.2021 को आदेश पारित करते हुए जप्त वाहन, निबंधन संख्या– BR10G-8825, एवं उस पर लदे महुआ बोटा 11 (ग्यारह) पीस को भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 52(3) के तहत अधिहरित किया गया।

अधिहरण न्यायालय से पारित उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर के अपीलीय न्यायालय में वन समपहरण अपीलवाद सं0–01/2021–22; रघुवीर कुमार बनाम बिहार राज्य दायर किया गया। इस वाद में सुनवाई करते हुए दिनांक–03.06.2022 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा आदेश पारित किया गया एवं अधिहरण न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2021 को पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा अपीलीय न्यायालय से पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन न्यायालय में दिनांक–06.10.2022 को रिविजन याचिका दायर की गयी। जिसके आधार पर रिविजनवाद संख्या–08/2022 की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल रिविजन याचिका अपीलीय प्राधिकार–सह–समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा वन समपहरण अपील वाद सं0–01/2021–22 में दिनांक–03.06.2022 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा राज्यसात वाद संख्या–08/2020; बिहार सरकार बनाम रघुवीर कुमार में दिनांक–13.03. 2021 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दायर तथ्य–कथन, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

1. गश्ती दल को देख वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात गश्तीदल द्वारा उक्त वाहन पिकअप भान निबंधन सं0–BR10G-8825 तथा उसपर लदे महुआ बोटा 11 (ग्यारह) पीस को अवैध परिवहन करने के क्रम में जप्त किया गया।

2. मुखिया द्वारा निर्गत परिवहन अनुज्ञा पत्र में मात्र 04 (चार) बोटा का उल्लेख किया गया हे, जबकि जप्ती सूची में भिन्न–भिन्न साईज का 11 (ग्यारह) बोटा का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार 7 बोटा का अन्तर पाया गया है। रिविजनकर्ता इस संबंध में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

3. मुखिया द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र भारतीय व अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन), अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत नहीं है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर रिविजनकर्त्ता द्वारा दायर रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा समपहरण अपीलवाद सं0–01/2021–22 में दिनांक–03.06.2022 के आदेश को संपुष्ट किया जात है।

संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह०/–
27.03.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह०/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–08/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– श्री रघुवीर कुमार, पिता–श्री रामाशीष यादव, ग्राम–शंखापरि, पोस्ट+थाना–लक्ष्मीपुर, जिला– जमुई, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–08/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–08/2022 1569 /प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 01/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/25
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी